न्यायालयः–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

जमानत आवेदन क्र.133/22

दीपक विश्वकर्मा पुत्र गिरजाशंकर विश्वकर्मा आयु 28 वर्ष
निवासी वार्ड नं.3 नौगांव थाना नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.
.....आवेदक/आरोपी

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा पुलिस थाना नौगांव
जिला छतरपुर म.प्र. **.....अनावेदक/राज्य**

<u>सत्य प्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक 11.10.22</u>

आवेदक द्वारा श्री प्रदीप द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित।

शासन द्वारा श्री रवीन्द्र सिंह सेंगर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

आरक्षी केंद्र नौगांव के अपराध क्रमांक 531/22 धारा 452, 354 भा.द.वि. की केसडायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त।

आवेदन के समर्थन में गिरजाशंकर विश्वकर्मा ने इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक का यह प्रथम आवेदन पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई आवेदन धारा 439 द.प्र.सं. किसी सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। उक्त तथ्य को विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है।

आवेदक का आवेदन संक्षेप में यह है कि आवेदक को पुलिस थाना नौगांव ने झूठे अपराध में दिनांक 05.10.22 को गिरफतार कर जे.एम.एफ.सी. नौगांव के समक्ष प्रस्तुत किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। आवेदक नवयुवक होकर सीधा सादा व्यक्ति है, उसका उक्त अपराध से कोई सरोकार नहीं है, उक्त अपराध के पूर्व आवेदक के विरूद्ध किसी भी राज्य में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं रहा है, फरियादिया 58 वर्षीय महिला है, आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय न होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के निराकरण में विलंब लगने की संभावना है, नौगांव का स्थाई निवासी होने से उसके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है, आवेदक जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किये गये हैं कि आवेदक नवयुवक होकर निर्दोष है, उसे पारिवारिक रंजिश के कारण फरियादिया ने पुलिस से मिलकर झूंठा फसाया है, अतः आवेदक को जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदन का जवाब न देते हुए मौखिक रूप से यह व्यक्त किया है कि आवेदक ने फरियादिया श्रीमती कुसुम साहू के घर में घुसकर उसके साथ छेडछाड की है, अतः आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के तर्क के प्रकाश में जमानत आवेदन के संबंध में पुलिस थाना नौगांव से प्रस्तुत अपराध क्रमांक 531/22 धारा 452, 354 भा.द.वि. की केसडायरी का परिशीलन किया गया।

केसडायरी के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि फरियादिया श्रीमती कुसुम साहू निवासी बेलाताल रोड सनराईज कॉलेज के सामने नौगांव ने दिनांक 04.10.22 को पुलिस थाना नौगांव में इस आशय का लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 03.10.22 को शाम करीब 6 बजे वह अपने घर के आंगन में बर्तन धो रही थी, उसी समय मुहल्ले का दीपक विश्वकर्मा उसके आंगन की दीवाल पर से आया और उसका दाहिना हाथ बुरी नियत से पकडते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया, चिल्लाने पर उसकी बेटी मोहिनी घर से बाहर आ गयी, जिसे देखकर दीपक भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध

पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान तथा विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदक के भागने, फरार होने की कोई संभावना दर्शित नहीं होती है, आवेदक छतरपुर जिले का स्थाई निवासी है। समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/आरोपी को जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/आरोपी दीपक विश्वकर्मा की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि उसकी ओर से **25,000/**—की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि योग्य पेश किया जावे, तो आवेदक/आरोपी को निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जावे कि —

1.आवेदक/आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
2.आवेदक/आरोपी न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
3.आवेदक अनुसंधान/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित की जावे।
केसडायरी वापस की जाये।
आवेदन का परिणाम दर्ज कर पत्रावली समयावधि में अभिलेखागार में संचित की जावे।

सही/—
(प्रदीप सोनी)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, नौगांव

प्रतिलिपि—

संबंधित न्यायालय की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

(प्रदीप सोनी)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नौगांव

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
सकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य